<u>एन0जी0टी0 की समीक्षा बैठक दिनांक 22-4-2016 /फैक्स संख्या-18/2016/1470/55-पर्या-16-56(रिट)/2016</u>

प्रेषक,

आत्मा राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि/परिवहन/ऊर्जा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/औद्योगिक विकास/नगर विकास/ आवास /पंचायती राज/भूतत्व एवं खनिकर्म/सिंचाई एवं जल संसाधन/लोक निर्माण/परती भूमि विकास/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/ आबकारी/उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण/गृह/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- जिलाधिकारी,
आगरा,गौतमबुद्वनगर,बांदा,बागपत,बुलन्दशहर,बलिया,जालौन,हमीरपुर,शामली,सहारनपुर, सम्भल,अलीगढ,मुरादाबाद,बरेली,कुशीनगर,कानपुर देहात,कानपुर नगर,सोनभद्र, गाजियाबाद,गोरखपुर,सिद्वार्थनगर,बस्ती,संतकबीरनगर,हापुड,मेरठ,मुजफफरनगर,मथुरा।

3- निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

4- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

5- उप निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण निदेशालय,
मेरठ।

6- समस्त संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
(द्वारा सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।)

पर्यावरण अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2016

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन0जी0टी0) में लम्बित वादों का प्रभावी <u>अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22-4-2016 को बैठक।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन0जी0टी0) के समक्ष दायर विभिन्न वादों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने एवं मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22-4-2016 को अपरान्ह 3-00 बजे से उ0प्र0 सचिवालय के बापू भवन के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: कृपया उपर्युक्त बैठक में आवश्यकतानुसार अपने विभाग से सम्बद्ध मा0 अधिकरण के अधिवक्ताओं के साथ आवश्यक अभिलेखों/सूचनाओं सहित यथासमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2016/1470(1)/55-पर्या-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।